न्यायालय सिविल जज जू.डि. बांदा

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। बार–बार पुकार पर वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को वाद की कार्यवाही में कोई रूचि नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

अतः न्यायहित में वाद, उभयपक्ष की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

हस्तगत वाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में अंतर्गत आदेश 9 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज जू.डि. बांदा